

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुडा भवन भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 16/02/2020

क्रमांक 131 /29/आदेश/छा/2021 राज्य शासन के एकीकृत छात्रवृत्ति/छात्रवृत्तियों नियम (पुनरीक्षित) के प्रतिस्थापित अनुसूची में सरल क्रमांक-3 के अन्तर्गत वर्ष 2020-2021 के लिये निम्नादिखित छात्र-छात्राओ को उनके नाम के समक्ष दर्शाये अनुसार योग्यता के आधार पर स्नातक योग्यता (सह साधन) विज्ञान/कला/वाणिज्य संकाय पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु राशि रूपये 300/- (तीन सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से 10 माह की अवधि के लिये छात्रवृत्ति भुगतान करने की आयुक्त उच्च शिक्षा म0प्र0 की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है । यदि किसी छात्र-छात्रा को एकीकृत छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अथवा राज्य शासन की कोई अन्य छात्रवृत्ति हेतु चयन किया गया हो तो उसको एक ही छात्रवृत्ति पाने की पात्रता होगी ।

स्नातक योग्यता (सहसाधन) छात्रवृत्ति विज्ञान संकाय

सं क्र	छात्र/छात्रा का नाम	शैक्षणिक संस्था का नाम का जहा प्रवेश लिया है।	डी.डी.ओ का नाम जिनके कोषालय सर्वर पर राशि अपलोड है।	स्वीकृत राशि
1	दिपिका शर्मा पिता-श्री पंकज शर्मा	शास. कन्या महावि. नीमच।	शास. कन्या महावि. नीमच।	3000/-
2	इशिका पाठक पिता-श्री सुधीर पाठक	शास. कन्या महावि. नीमच।	शास. कन्या महावि. नीमच।	3000/-
3	पूजा पिता-दिनेशचंद नागदा	शास. कन्या महावि. नीमच।	शास. कन्या महावि. नीमच।	3000/-
4	सविशा कुंवर रणावत पिता-उमेश सिंह रणावत	शास. कन्या महावि. नीमच।	शास. कन्या महावि. नीमच।	3000/-
5	श्रेया जैन पिता-निरत कुमार जैन	शास. कन्या महावि. नीमच।	शास. कन्या महावि. नीमच।	3000/-
कुल योग (रूपये पन्द्रह हजार मात्र)				15,000/-

स्नातक योग्यता (सहसाधन) छात्रवृत्ति कला संकाय

सं क्र	छात्र/छात्रा का नाम	शैक्षणिक संस्था का नाम का जहा प्रवेश लिया है।	डी.डी.ओ का नाम जिनके कोषालय सर्वर पर राशि अपलोड है।	स्वीकृत राशि
1	दिशा जोशी पिता-डगरलाल नागदा	शास. कन्या महावि. नीमच।	शास. कन्या महावि. नीमच।	3000/-
2	निकिता सिंह पिता-श्री राजेन्द्र सिंह	श्री सीताराम जाजू शास. कन्या महावि. नीमच।	श्री सीताराम जाजू शास. कन्या महावि. नीमच।	3000/-
3	सुरभी फूलवानी पिता-जगदिश	शास. कन्या महावि. नीमच।	शास. कन्या महावि. नीमच।	3000/-

4	भावना कुँवर पिता कमल सिंह हाडा	शास. कन्या महावि. नीमच	शास. कन्या महावि. नीमच	3000 / -
5	ज्योती द्विवेदी पिता-चन्द्रकांत द्विवेदी	शास. महावि. देवेन्द्रनगर	शासकीय महावि. देवेन्द्रनगर	3000 / -
6	टीना पंड्या मुखिया संतोषबाई पण्ड्या	शास. कन्या महावि. नीमच	शास. कन्या महावि. नीमच	3000 / -
7	कृष्ण कुमारी शर्मा पिता-मिथलेश कुमार शर्मा	शास. महावि. देवेन्द्र नगर	शासकीय महावि. देवेन्द्रनगर	3000 / -
8	रिया शर्मा पिता-लल्लू लाल शर्मा	शास. महावि. देवेन्द्र नगर	शासकीय महावि. देवेन्द्रनगर	3000 / -
9	मोहिनी त्रिपाठी पिता-श्री सुलेश त्रिपाठी	शासकीय महावि. देवेन्द्रनगर	शासकीय महावि. देवेन्द्रनगर	3000 / -
10	साक्षी पाण्डेय पिता-सत्यनारायण पाण्डेय	शास. महावि. देवेन्द्र नगर	शासकीय महावि. देवेन्द्रनगर	3000 / -
11	शिवानी त्रिपाठी पिता-शमसुजान त्रिपाठी	शास. महावि. देवेन्द्र नगर	शासकीय महावि. देवेन्द्रनगर	3000 / -
कुल योग (रूपये पैतालीस हजार मात्र)				33,000 / -

**स्नातक योग्यता (सहसाधन) छात्रवृत्ति वाणिज्य संकाय**

स क्र	छात्र/छात्रा का नाम	शैक्षणिक संस्था का नाम का जहा प्रवेश लिया है।	डी.डी.ओ का नाम जिनके कोषालय सर्वर पर राशि अपलोड है।	स्वीकृत राशि
1	निकिता शर्मा पिता-शिवकुमार शर्मा	शास. कन्या महावि. नीमच।	शास. कन्या महावि. नीमच।	3000 / -
2	मनीषा नागदा पिता-श्री भोपराज नागदा	शास. कन्या महावि. नीमच।	शास. कन्या महावि. नीमच।	3000 / -
कुल योग (रूपये छै हजार मात्र)				6,000 / -

(कुल योग राशि रू0 54,000/- रूपये चौवन हजार मात्र)।

२.

स्नातक योग्यता (सह साधन) विज्ञान/कला/वाणिज्य संकाय का कुल योगराशि रू0 54,000/- (रूपये चौवन हजार मात्र) ।

उपरोक्त छात्रवृत्ति स्नातक योग्यता (सह साधन) पाठ्यक्रम की अवधि पूर्ण होने पर संतोषजनक प्रगति,नियमित उपस्थिति तथा आचरण ठीक होने पर संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म0प्र0 द्वारा नवीनीकरण हेतु राशि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी ।

उपरोक्त छात्रवृत्ति पर होने वाला व्यय वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगा :-

मांग संख्या 44-उच्च शिक्षा

2202 सामान्य शिक्षा

(03)विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

(107) छात्रवृत्तियाँ-0103

(6064) कला महाविद्यालय

(41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002

उक्त स्वीकृति के आधार पर उपर्युक्त छात्रवृत्तियों का 300/- रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-2021 में आहरित किया जा सकेगा । उक्त स्वीकृति के आधार पर छात्रवृत्ति के देयक संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य एम.पी.टी.सी.-47 में बनाकर दो प्रतियों में पूर्व की भौति संबंधित शिक्षा अधिकारी को शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 7402/20/छात्र/एकीकृत/82-83 दिनांक 31.8.82/11.10.82 के अनुसार प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करें । प्रति हस्ताक्षर के पश्चात देयक कोषालय में प्रस्तुत कों एवं भुगतान प्राप्त करें तथा संबंधित छात्र/छात्राओं को नियमानुसार भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं संबंधित विद्यार्थियों से सेवा में न रहने संबंधी शपथ प्राप्त कर यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(चन्द्रशेखर वालिम्बे )

अपर आयुक्त/आयुक्त

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रं 132/29/आउशि/छा/2021

भोपाल दिनांक 16-02-21

प्रतिलिपि:-

- 1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
- 2 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश ।
- 3 संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 4 प्राचार्य, संबंधित शासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश ।
- 5 कोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय मध्यप्रदेश
- 6 संयुक्त संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर इस आशय से कि आदेश के कालम "4" में अंकित महाविद्यालयों के डी.डी.ओ. कोड में कालम "5" में दर्शाई गई राशि अपलोड कराने का कष्ट करें ।

(मनोज कुमार अग्निहोत्री)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश